न्यायालय सब जज–द्वितीय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

टी0 एस0 नं0–605 / 2021

दया शंकार सिंह – वादी

बनाम्

पवित्री देवी वगैरह – प्रतिवादगण

02.06.2026

वादी की ओर से आवेदन दिनांक–28.04.2025 आदेश 39 नियम 01 व 02 के अंतर्गत इस आशय से दाखिल किया गया है कि वादी ने बसिका केबला दिनांक–07.01.2015 प्रतिवादी सं0–1 बनाम् प्रतिवादी सं0–2 एवं 3 बिल्कुल जाली, फरेबी शून्य दस्तावेज है जिसे घोषित कराने वास्ते वर्तमान स्वत्व वाद दाखिल किया है। उपरोक्त वाद में प्रतिवादी सं0–1, 2 एवं 3 दिनांक–30.06.2022 को उपस्थित हुए हैं वो प्रतिवादी सं0–2 एवं 3 ने दिनांक–28.09.2022 को बयान तहरीरी दाखिल कर कन्टेस्ट कर रहे हैं तथा प्रतिवादी सं0–1 को जबाव दाखिल करने से दिनांक–10.11.2022 को डिबार किया जा चुका है। प्रतिवादी सं0–1, 2 एवं 3 को जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई कि उनके विरूद्ध उपरोक्त वाद दाखिल हुआ है, उपस्थित होकर जानकारी रख कर मुकदमा के दरम्यान दिनांक–03.03.2025 एवं 07.03.2025 को कुमारी निलम देवी को निबंधित केबाला एराजी मौजा टुड़ीगंज थाना नंबर–200 खाता सं0–300 प्लाट नं0–217 रकबा 5.5 डी0 बय कर दिया है। प्रतिवादी सं0–1, 2 एवं 3 आपस में माता–पुत्र हैं जो बिल्कुल जाली फरेबी व्यक्ति है जो आपस में मिलकर वादी को शुरू से तंग वो परेशान करते चले आ रहे हैं जिसके निस्वत वादी के द्वारा प्रतिवादी सं0–1, 2 एवं 3 के खिलाफ कंप्लेन्ट भी दाखिल किया है जिसमें न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं0–1, 2 एवं 3 के खिलाफ संज्ञान भी लिया गया है जिसमें बेल पर चले रहे हैं। प्रतिवादी सं0–1, 2 एवं 3 ने दिनांक–03.03.2025 एवं 07.03.2025 की जो केबाला प्रतिवादी सं0–4 कुमारी निलम देवी के पक्ष में तहरीर किया है उसके कन्टेस्ट के अवलोकरन से स्पष्टतया प्रमाणित है कि उपरोक्त केबाला को बिक्री करने का पैगाम प्रतिवादी सं0–1 के द्वारा किया गया है एवं समूचा रूपये भी प्रतिवादी सं0–1 के द्वारा ही प्राप्त किया गया है जिससे स्पष्ट है कि परिवार संयुक्त है वो कर्ता ऑफ द फेमिली प्रतिवादी सं0–1 ही है। प्रतिवादी सं0–4 कुमारी निलम देवी ने जबसे केबाला खरीद की है तब से लगातार वादग्रस्त भूमि पर वादी को बेदखल करने के प्रयास में केता और बिकेता लगे हुए हैं। वादग्रस्त भूमि जमीमा नंबर–1 पर वादी का दखल कब्जा केबाला के दिन से ही चला आ रहा है जिस पर खेती, गृहस्थी करते चले आ रहे हैं वो सरकार को लगान अदाय करते चले आ रहे हैं जिससे स्पष्ट है कि वादी के पक्ष में प्राईमाफेसी केस बनता है वो वादग्रस्त भूमि पर सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0–1, 2, 3 एवं 4 कुमारी निलम

देवी को वादग्रस्त भूमि पर जाने से नहीं रोका गया तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। वादी का पक्षकार बनाने का आवेदन दिनांक–28.04.2025 वो वर्तमान निषेधाज्ञा आवेदन को एक साथ सुनवाई करते हुए वो कुमारी निलम देवी को पक्षकार बनाते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जाए।

उपरोक्त आवेदन के आलोक में प्रतिवादी सं0–2 एवं 3 प्रतिउत्तर दाखिल करते हुए निवेदन करते हैं कि वादी द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन कानूनतः संधारणीय एवं पोषणीय नहीं है। वादी ने प्रतिवादी सं0–1 पवित्री देवी द्वारा प्रतिवादी सं0–2 एवं 3 के पक्ष में दिनांक–07.01.2025 को लिखे गये पंजीकृत केबाला को जाली, फरेबी एवं शून्य घोषित करने हेतु वर्तमान मुकदमा दाखिल किया है। विवादित केबला दिनांक–07.01.2015 के आधार पर प्रतिवादी सं0–2 एवं 3 दाखिल खारिज वाद सं0–904 सन् 2015–16 के माध्यम से अपने नाम दाखिल खारिज कराकर केबाला में दर्ज एराजी पर दखल कब्जा में रहते एवं लगान अदाय करते चले आ रहे हैं जिससे वादी या किसी अन्य को किसी तरह का कोई सरोकार नहीं है। वादी काफी चतुर चालाक तथा मुकदमेबाज व्यक्ति है जिनके द्वारा प्रतिवादी सं0–1 को धोखा देकर जाली फरेबी से पिता जी के नाम के जगह पर माता जी (प्रतिवादी सं0–1) का नाम दर्ज कराने का झूठा आश्वासन देकर गलत तथ्य, गलत चौहद्दी दर्ज कर बिना रूपया पैसा के केबाला वजूद में लाया गया है जिसके आधार पर वादी को एक पल के लिए भी कभी हकियत वो कब्जा दखल प्राप्त नहीं हुआ। प्रतिवादी सं0–1 द्वारा प्रतिवादी सं0–2 एवं 3 के पक्ष में दिनांक–07.01.2015 को केबाला लिखे जाने के बाद दिनांक–11.09.2017 को प्रतिवादी सं0–1 को विवादित एराजी के निस्वत वादी के पक्ष में केबाला लिखे जाने का कानूनतः किसी तरह का कोई हक वो अधिकार प्राप्त नहीं था। वादी का दावा प्रथम दृष्ट्या सही नहीं है एवं सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में नहीं है तथा निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं होने से वादी को किसी तरह की कोई क्षति नहीं होगी। अतः निवेदन है कि वादी द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक–28.04.2025 को खारिज किया जाए।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी के द्वारा यह वाद प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या–2 और 3 के पक्ष में निष्पादित द्वारा दिनांक 07.01.2015 को सून्य घोषित कराने हेतू इस आधार पर लाया है कि प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा वाद पत्र के अनुसूची 1 के निस्वत वादी के पक्ष में एक कबाला दिनांक 11.09.2017 को प्रतिवादी संख्या– 1 और 2 के सहमति से किया गया है। जिसके आधार पर वादी के द्वारा अंचल कार्यालय से दाखिल खारिज कराया जा चुका है। जिसके आधार पर विवादित भूमि पर वादी का दखल–कब्जा है। जबकि प्रतिवादी संख्या–1, 2 और 3 के द्वारा प्रस्तुत वाद के लंबित रहने के दौरान हीं विवादित भूमि के निस्वत एक कबाला प्रतिवादी संख्या–4 निलम देवी के पक्ष बिक्रय पत्र दिनांक 03.03.2025/07.03.2025 निष्पादित

किया गया। जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या–4 वादी को विवादित भूमि से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। पुनः प्रतिवादी का कथन है कि वादी के द्वारा विवादित भूमि का कबाला अपन पक्ष में प्रतिवादी संख्या–1 को धोखे में रखकर कराया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या–1 को विवादित भूमि का कबाला लिखने का अधिकार नहीं है। पुनः वादी के पक्ष में निष्पादित कबाला के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या–2 जो वादी के पक्ष में बिक्रय निष्पादन के समय वयस्क थे उनका गवाह के रूप में हस्ताक्षर है। जबकि प्रतिवादी संख्या–3 उस समय अवयस्क थे। ऐसी परिस्थिति में वादी का प्रथम दृष्ट्या वाद बनता प्रतीत होता है। पुनः वादी के पक्ष में अंचल कार्यालय से दाखिल खारिज का आदेश निर्गत है जो सामान्यतः वादी का विवादित भूमि पर दखल कब्जे के तथ्य को संपुष्ट करता है। ऐसी परिस्थिति में यदि प्रतिवादी के द्वारा वादी को विवादित भूमि से बेदखल किया जाता है सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में बनता प्रतीत होता है। जबकि वादी के द्वारा निषेधाज्ञा आवेदन के लिए आवश्यक अपूर्णीय क्षति के संबंध में किसी प्रकार का विशेष उल्लेख नहीं किया गया है जिससे न्यायालय को यह विदित हो सके कि वादी को किस प्रकार अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः वादी का निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाता है।

दिनांक–06.06.26 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज–द्वितीय